खण्ड-389, अंक-1
बुधवार, 19 माघ, शक संवत् 1910
(8 फरवरी, 1989 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 389 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल मन्त्रि-परिषद्, नेता, विरोधी दल, उत्तर प्रदेश	
विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल	ग–ञ
उपस्थित सदस्य	द
माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी नव वर्ष की शुभकामनायें	1
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ	1
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1988 .. .. .. (सदन के पटल पर रखा गया)	11
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) .. अध्यादेश, 1988 .. .. (सदन के पटल पर रखा गया)	11
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1988 .. (सदन के पटल पर रखा गया)	12
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन), अध्यादेश 1988 .. (सदन के पटल पर रखा गया)	12
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1988 (सदन के पटल पर रखा गया)	12
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1989 .. .. (सदन के पटल पर रखा गया)	12
मोटर यान (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1989 .. (सदन के पटल पर रखा गया)	12
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पचासवां संशोधन) नियमावली, 1988 .. (सदन के पटल पर रखी गयी)	12
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (इक्यावनवां संशोधन) नियमावली, 1988 .. (सदन के पटल पर रखी गयी)	13
यू0 पी0 मोटर वेहिकिल्स (बावनवां संशोधन) नियमावली, 1988 .. (सदन के पटल पर रखी गयी)	13
उत्तर प्रदेश मोटर यान (तिरेपनवां संशोधन) नियमावली, 1988 .. .. (सदन के पटल पर रखी गयी)	13
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 .. (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	13
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988 .. .. (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	14
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1988 .. (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	14
उत्तर प्रदेश विनियोग (1982–83 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1988 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	14
उत्तर प्रदेश विनियोग (1988–89 का अनुपूरक) विधेयक, 1988 .. (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	15

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1988 15
(राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक 1988 15
(राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1988 .. 15
(राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1988 16
(राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1988 .. 16
(राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1988 16
(राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988 16
(राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) 17

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा के सदस्यों की सूची

1–अकबर अहमद (डम्पी), श्री (नैनीताल)
2–अकबर हुसैन बाबर, श्री (फैजाबाद)
3–अचल सिंह, श्री (फतेहपुर)
4–अच्युतानन्द तिवारी, डा0 (गोरखपुर)
5–अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
6–अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
7–अजीत प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
8–अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
9–अतर सिंह यादव, श्री (एटा)
10–अनुग्रह नारायण सिंह, श्री (इलाहाबाद)
11–अफजाल अन्सारी, श्री (गाजीपुर)
12–अफसर यू0 अहमद, श्री (बस्ती)
13–अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री (मेरठ)
14–अमर चन्द्र, श्री (आगरा)
15–अमर नाथ सिंह, श्री (फतेहपुर)
16–अमिताभ अनिल दुबे, श्री (गाजीपुर)
17–अमिताभ लवानियां, श्री (आगरा)
18–अमीर आलम खां, श्री (मुजफ्फरनगर)
19–अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
20–अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
21–अरविन्द तिवारी, श्री (जालौन)
22–अरुण प्रताप, सिंह, श्री (गोण्डा)
23–अर्जुन सिंह, श्री (बांदा)
24–अर्जुन सिंह यादव, श्री (जौनपुर)
25–अलमेलु अम्माल कुमारी (बस्ती)
26–अवधेश प्रताप मल्ल, श्री (देवरिया)
27–अवधेश प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
28–अवधेश राय शास्त्री, श्री (गाजीपुर)
29–अवनीश कुमार सिंह, श्री (बदायूं)
30–अशरफ इमाम, श्रीमती (मिर्जापुर)
31–अशोक बाजपेयी, श्री (हरदोई)
32–अशोक सेहरा, श्री (आगरा)
33–अहिवरन, श्री (शाहजहांपुर)
34–आर0 एन0 पाठक, श्री (कानपुर)
35–इकबाल अहमद, श्री (आजमगढ़)
36–इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
37–इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (बहराइच)
38–इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री (बुलन्दशहर)
39–ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
40–उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
41–उदयवीर सिंह, राठौर, श्री (एटा)
42–उमा त्रिपाठी, श्रीमती (हरदोई)
43–उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोण्डा)
44–उर्मिला अग्निहोत्री एडवोकेट, कु0 (एटा)
45–एहतिशाम वली खां, श्री (बहराइच)
46–ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (झांसी)
47–ओमवती, श्रीमती (बिजनौर)
48–औसान सिंह, श्री (इटावा)
49–कनक सिंह, श्री (गाजियाबाद)
50–कमल किशन पाण्डेय, श्री (पिथौरागढ़)
51–कमल नयन वर्मा, श्री (रायबरेली)
52–कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
53–कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
54–कमलेश कुमार पाठक, श्री (इटावा)
55–कमाल अहमद रिजवी, श्री (खीरी)
56–कल्यान सिंह, श्री (अलीगढ़)
57–कल्लू राम रत्नाकर, श्री (मिर्जापुर)
58–काजी कलीमुर्रहमान, श्री (आजमगढ़)
59–काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
60–कान्ती सिंह विसेन, श्रीमती (खीरी)
61–कामेश्वर उपाध्याय, श्री (देवरिया)
62–काशी सिंह ऐरी, श्री (पिथौरागढ़)
63–किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
64–किशन लाल, श्री (पीलीभीत)
65–किशन लाल दिलेर, श्री (अलीगढ़)
66–किशन सिंह तड़ागी, श्री (नैनीताल)
67–किशोरी लाल सकलानी, श्री (देहरादून)
68–कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
69–कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
70–कुशल पाल सिंह, श्री (मथुरा)
71–कृष्ण कुमार, श्री (फैजाबाद)
72–कृष्ण कुमार शर्मा, श्री (गाजियाबाद)
73–कृष्ण दत्त उर्फ बालराज, श्री (फतेहपुर)
74–कृष्णवीर सिंह कौशल डा0 (आगरा)
75–कृष्णा रावत, कुमारी (लखनऊ)
76–केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
77–केशरी सिंह, कर्नल (बस्ती)
78–कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
79–कोकब हमीद, श्री (मेरठ)
80–कौशिक रमाशंकर, श्री (मुरादाबाद)

81–खरपत राम, श्री (वाराणसी)
82–खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
83–खुरशेद अहमद, श्री (बहराइच)
84–गंगा स्वरूप भटनागर, श्री (सीतापुर)
85–गजराज राम, श्री (जौनपुर)
86–गजराज सिंह, श्री (गाजियाबाद)
87–गया प्रसाद वर्मा, श्री (इटावा)
88–गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
89–गेन्दा देवी, श्रीमती (बस्ती)
90–गोपाल दास यादव श्री (इलाहाबाद)
90–ए–गोपीनाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
91–गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
92–गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
93–गोरखनाथ, श्री (देवरिया)
94–गौरी शंकर, श्री (इटावा)
95–गौरी शंकर भइया, श्री (बलिया)
96–चन्द्र भान मौर्य, श्री (आगरा)
97–चन्द्र सेन, श्री (जौनपुर)
98–चमन लाल चमन, श्री (सहारनपुर)
99–चारू शीला, श्रीमती (मुजफ्फरनगर)
100–चेतराम, श्री (शाहजहांपुर)
101–चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
102–जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
103–जगदीश नरायन, श्री (हमीरपुर)
104–जगमोहन सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
105–जगवीर सिंह, श्री (अलीगढ़)
106–जनार्दन प्रसाद ओझा श्री (गोरखपुर)
107–जफर अली नकवी, श्री (लखनऊ)
108–जमुना प्रसाद बोस, श्री (बांदा)
109–जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
110–जय नारायण शर्मा, श्री (मेरठ)
111–जय नारायण तिवारी, श्री (सुल्तानपुर)
112–जवाहर सिंह यादव, श्री (इलाहाबाद)
113–जागन सिंह, श्री (रामपुर)
114–जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री (कानपुर)
115–झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
116–ताराचन्द्र सोनकर, चौधरी (लखनऊ)
117–तिलक सिंह, श्री (अलीगढ़)
118–तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
119–त्रिभुवन प्रसाद, श्री (बहराइच)
120–त्रियुगी नारायण मिश्र, श्री (गोरखपुर)
121–त्रिलोक चन्द्र, श्री (बुलन्दशहर)
122–दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
123–दिनेश जौहरी, डा० (बरेली)
124–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
125–दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
126–दीप चन्द्र सोनकर, श्री (जौनपुर)
127–दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
128–दुर्गा प्रसाद यादव, श्री (आजमगढ़)
129–रिक्त
130–देव कुमार यादव, श्री (बांदा)
131–देवता दीन, श्री (बहराइच)
132–देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री (ललितपुर)
133–देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
134–देवेन्द्र सिंह, कुंवर (बिजनौर)
135–द्वारिका प्रसाद, श्री (बस्ती)
136–धनराज यादव, श्री (बस्ती)
137–गंगा राम, श्री (खीरी)
138–नत्था राम रावत, श्री (बाराबंकी)
139–नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
140–नत्थू लाल विकल, श्री (बरेली)
141–नरेन्द्र देव, श्री (मिर्जापुर)
142–नरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बरेली)
142–ए–नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
143–नरेन्द्र सिंह, कुंवर, (सहारनपुर)
144–नरेन्द्र सिंह, चौधरी (कानपुर)
145–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
146–नरेश चन्द्र, श्री (लखनऊ)
147–नरेश पाल सिंह, यादव, श्री (बदायूं)
148–नानक चन्द आजाद, श्री (मेरठ)
149–नारायण हरि शर्मा, श्री (अलीगढ़)
150–नियाज हसन, श्री (प्रतापगढ़)
151–निरोत्तम सिंह, श्री (बदायूं)
152–निर्भय पाल शर्मा, श्री (सहारनपुर)
153–निसार हुसैन, श्री (रामपुर)
154–निहाला सिंह, श्री (वाराणसी)
155–नेक चन्द्र पाण्डेय, श्री (कानपुर)
156–पद्मा सेठ, श्रीमती (सीतापुर)
157–परमाई लाल, श्री (हरदोई)
158–परागी लाल, चौधरी (सीतापुर)
159–पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री (कानपुर)
160–पारसनाथ यादव, श्री (जौनपुर)
161–पुरुषोत्तम लाल, श्री (इलाहाबाद)
162–पुष्कर सिंह, श्री (गढ़वाल)
163–पुष्पा देवी श्रीमती (बदायूं)
164–पुष्पा सिंघल, श्रीमती, (मुरादाबाद)
165–पुरन सिंह माहरा, श्री (अल्मोड़ा)
166–प्रकाश नरायन अवस्थी, श्री (फतेहपुर)

167–प्रदीप माथुर, श्री (मथुरा)
168–प्रभुदयाल, प्रधान (मेरठ)
169–प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
170–प्रवीण कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
171–प्रेमपाल सिंह, श्री (एटा)
172–प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
173–प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
174–फजलुल बारी, श्री (गोण्डा)
175–फजले मसूद, श्री (देवरिया)
176–फरीद महफूज किदवई, श्री (बाराबंकी)
177–फसीउर्रहमान, श्री, (उर्फ मुन्नन खां) (गोण्डा)
178–फागू चौहान, श्री (आजमगढ़)
179–फूल कुंवर, श्री (मुरादाबाद)
180–फूल सिंह सौदाई, श्री (मुजफ्फरनगर)
181–फ्रांसिस डब्लू, मोरे, श्री नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय
182–बंगाली सिंह, डा0 (अलीगढ़)
183–बंशीधर राज, श्री (खीरी)
184–बदन सिंह, श्री (आगरा)
185–बद्री प्रसाद, श्री (उन्नाव)
186–बद्री सिंह, श्री (जालौन)
187–बलजीत सिंह, श्री (मथुरा)
188–बलदेव सिंह, कैप्टेन (अलीगढ़)
189–बलवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
190–बलराम यादव, श्री (आजमगढ़)
191–बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
192–बसन्त सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
193–बहादुर सिंह, श्री (आगरा)
194–बाबू राम यादव, श्री (मैनपुरी)
195–बाबू लाल, श्री (गोण्डा)
196–बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
197–बाबू सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
198–बालेश्वर, श्री (देवरिया)
199–बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
200–बुधपाल सिंह 'खुर्जावाले' श्री (बुलन्दशहर)
201–बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री (सीतापुर)
202–बेनी प्रसाद वर्मा, श्री (बाराबंकी)
203–बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
204–बैजनाथ, श्री (देवरिया)
205–ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
206–ब्रहमदत्त द्विवेदी, श्री (फर्रुखाबाद)
207–भगवती प्रसाद, चौधरी (मिर्जापुर)
208–भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
209–भगवान दास, श्री (मुरादाबाद)
210–भगवान दीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
211–भगौती सिंह, श्री (लखनऊ)
212–भागीरथ चौधरी, श्री (झांसी)
213–भीखा राम, श्री (आजमगढ़)
214–भृगुनाथ भट्ट, श्री (गोरखपुर)
215–भोपाल सिंह, श्री (मेरठ)
216–भोला शंकर मौर्य, श्री (बदायूं)
217–भोला सिंह, श्री (इलाहाबाद)
218–मंगलदेव, श्री (गोंडा)
219–मनहरन नाथ कौल, श्री (बहराइच)
220–मनोहर लाल, श्री (उन्नाव)
221–मयंकर सिंह, श्री (बहराइच)
222–मरगूब अहमद खां, श्री (बाराबंकी)
223–मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
224–महमूदुल हसन अन्सारी, श्री (बिजनौर)
225–महरम सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
226–महाराज सिंह, चौधरी (इटावा)
227–रिक्त
228–महावीर सिंह राणा, श्री (सहारनपुर)
229–महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री (इलाहाबाद)
230–महेन्द्र भाटी, श्री (गाजियाबाद)
231–माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
232–मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
233–मान बहादुर सिंह, श्री (गोंडा)
234–मानवेन्द्र सिंह, कुंवर (झांसी)
235–मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
236–मिही लाल, श्री (हमीरपुर)
237–मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
238–मुलायम सिंह यादव, श्री (इटावा)
239–मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
240–मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
241–मूलचन्द्र, श्री (वाराणसी)
242–मैनेजर सिंह, श्री (बलिया)
243–मोती राम सागुड़ी, श्री (नैनीताल)
244–मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
245–मोहम्मद असलम खां, श्री (सहारनपुर)
246–मोहम्मद आकिल, श्री (मुरादाबाद) (उर्फ मुन्ना मियां)।
247–मोहम्मद उमर, डा0 (गोण्डा)
248–मोहम्मद मसूद खां, श्री (आजमगढ़)
249–मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री (मुरादाबाद)
250–मोहम्मद वसीम अंसारी, श्री (रायबरेली)
251–मो0सफीउर्रहमान अंसारी, श्री (वाराणसी)

252–मोहम्मद हयात, हाजी (मुरादाबाद)
253–यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
254–योगेन्द्र कुमार, श्री (बदायूं)
255–रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोण्डा)
256–रघुवर दयाल वर्मा, श्री (आगरा)
257–रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
258–रजनी कान्त दत्त, डा० (वाराणसी)
259–रिक्त
260–रतन स्वरूप राही, श्री (बुलन्दशहर)
261–रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन) (बरेली)
262–रमाकान्त, श्री (आजमगढ़)
263–रमाकान्त मिश्र, श्री (इलाहाबाद)
264–रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री (एटा)
265–रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
266–रवीन्द्रनाथ तिवारी, श्री (फैजाबाद)
267–राकेशधर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
268–राजकिशोर सिंह, श्री (वाराणसी)
269–राजपती देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
270–राज बहादुर, श्री (जौनपुर)
271–राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री (सीतापुर)
272–राजित प्रसाद यादव, श्री (वाराणसी)
273–राजीव कुमार सिंह, श्री (बाराबंकी)
274–राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
275–राजेन्द्र शर्मा, श्री (मेरठ)
276–राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
277–राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री (एटा)
278–राजेन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
279–राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री (बुलन्दशहर)
280–राजेश कुमार खैरा, श्री (ललितपुर)
281–राधेश्याम, श्री (कानपुर)
282–राम आसरे, श्री (सुल्तानपुर)
283–राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
284–रामऔतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
285–राम औतार मिश्र, श्री (उर्फ ननकू) (शाहजहांपुर)
286–राम करन पटेल, श्री (वाराणसी)
287–रामकृष्ण, श्री (सीतापुर)
288–रामगोविन्द चौधरी, श्री (बलिया)
289–रामचन्द्र शर्मा, श्री (वाराणसी)
290–रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री (बाराबंकी)
291–राम जनम, श्री (आजमगढ़)
292–राम जन्म सिंह, श्री (वाराणसी)
293–राम जियावन, श्री (बस्ती)
294–रामनन्दिनी वर्मा, श्रीमती (फर्रुखाबाद)
295–रिक्त
296–रामनरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
297–रामनाथ मुन्शी, श्री (गाजीपुर)
298–रामपाल वर्मा, श्री (हरदोई)
299–रामपाल सिंह, एडवोकेट, श्री (गोण्डा)
300–राम प्रकाश सिंह, सेंगर, श्री (जालौन)
301–रामबदन एडवोकेट, श्री (आजमगढ़)
302–राम भजन लाल, श्री (खीरी)
303–राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
304–राम राज शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
305–राम लक्षन, श्री (गोरखपुर)
306–राम लाल, श्री (सीतापुर)
307–राम विशुन आजाद, श्री (गोण्डा)
308–राम सकल तिवारी, श्री (देवरिया)
309–राम सजीवन, श्री (बांदा)
310–राम शरण दास, श्री (सहारनपुर)
311–राम सागर, श्री (बाराबंकी)
312–राम सागर राव, श्री (बहराइच)
313–राम सिंह एडवोकेट, श्री (मैनपुरी)
314–राम सिंह, श्री (हमीरपुर)
315–राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
316–रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
317–राय लक्ष्मी नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
318–रिछपाल सिंह बन्सल, श्री (मेरठ)
319–रीना कुमारी, श्रीमती (मुरादाबाद)
320–रेवतीरमण सिंह, कुंवर, (इलाहाबाद)
321–लक्ष्मी नारायण, श्री (मथुरा)
322–लाल चन्द्र निषाद, श्री (गोरखपुर)
323–लालता प्रसाद निषाद, चौधरी (गाजीपुर)
324–लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
325–लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
326–लोकेन्द्र दत्त सकलानी, श्री (टिहरी गढ़वाल)
327–विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री (बलिया)
328–विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
329–विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
330–विजय सिंह राणा, श्री (आगरा)
331–विदेशी प्रसाद भारती, श्री (देवरिया)
332–विनोद कुमार, श्री (पीलीभीत)
333–विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
334–विमला सिंह, श्रीमती (गाजियाबाद)
335–रिक्त
336–विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
337–विष्णु देव, श्री (आजमगढ़)

338--रिक्त
339--वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री (कानपुर)
340--वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
341--वीरेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
342--वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
343--वीरेन्द्र सोन, श्री (आगरा)
344--शतरुद्र प्रकाश, श्री (वाराणसी)
345--शफीकुर्रहमान बर्क, श्री (मुरादाबाद)
346--शशि शर्मा, श्रीमती (देवरिया)
347--शारदा देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
348--शारदानन्द अंचल, श्री (बलिया)
349--शारदा प्रताप, श्री (लखनऊ)
350--शारदा प्रसाद बिन्द, श्री (वाराणसी)
351--शिरोमणि भाई, श्री (बांदा)
352--शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
353--शिव नारायण मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
354--शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
355--शिव बख्श सिंह राठौर, श्री (मैनपुरी)
356--शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
357--शिव मंगल सिंह, श्री (बलिया)
358--शिवानन्द नौटियाल, डा० (चमोली)
359--शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू श्री (गोरखपुर)
360--शूरवीर सिंह सजवाण, श्री (टेहरी-गढ़वाल)
361--शेर बहादुर सिंह, श्री (फैजाबाद)
362--शैलेन्द्र कुमार, श्री (इलाहाबाद)
363 शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
364--श्याम बिहारी सिंह, श्री (बरेली)
365--श्याम लाल, चौधरी (जालौन)
366--श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
367--श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
368--श्री प्रकाश, श्री (आजमगढ़)
369--संकटा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
370--संजय सिंह, डा० (सुल्तानपुर)
371--सईदुज्जमा श्री (मुजफ्फरनगर)
372--सखावत हुसैन, श्री (गाजियाबाद)
373--सखावत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
374--सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री (उन्नाव)
375--सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
376--सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
377--सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
378--सतीश चन्द्र, श्री (आगरा)
379--सन्तन बड़थ्वाल, श्री (चमोली)
380--सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट, श्री (फर्रुखाबाद)
381--समरपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
382--सरजू प्रसाद सरोज, श्री (प्रतापगढ़)
383--सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
384--सरस्वती देवी, श्रीमती (अल्मोड़ा)
385--सरस्वती प्रताप सिंह, श्री (खीरी)
386--सिकन्दर अली खां, नवाब (शाहजहांपुर)
387--सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
388--सुक्खन सिंह, श्री (बिजनौर)
389--सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
390--सुखपाल पाण्डे, श्री (बस्ती)
391--सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
392--सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
393--सुन्दर लाल, श्री (उन्नाव)
394--सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
395--सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री (बाराबंकी)
396--सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री (बांदा)
397--सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
398--सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री (फैजाबाद)
399--सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (रायबरेली)
400--सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
401--सुरेन्द्र सिंह, श्री (गढ़वाल)
402--सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
403--सुरेश चन्द्र, श्री (नैनीताल)
404--सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री (अलीगढ़)
405--सूर्य प्रताप शाही, श्री (देवरिया)
406--सैयद अली अशरफी, श्री (पीलीभीत)
407--सैयद जावेद अली सब्जपोश, श्री (गोरखपुर)
408--सैयद सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
409--स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
410--हनुमान प्रसाद कुरील, श्री (कानपुर)
411--हफीज भारती, श्री (आजमगढ)
412--हरदेव, श्री (बलिया)
413--हर नारायण सिंह, श्री (रायबरेली)
414--हरशरन सिंह, (मेरठ)
415--हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)
416--हरिशंकर तिवारी बिलग्रामी, श्री (हरदोई)
417--हरिश्चन्द्र हरीश जी, श्री (बस्ती)
418--हरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
419--हर्ष वर्धन, श्री (गोरखपुर)
420--हाफिज मो० उमर, श्री (कानपुर)
421--हितेश कुमारी, श्रीमती (बुलन्दशहर)
422--हीरा सिंह बिष्ट, श्री (देहरादून)
423--हुकुम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
424--हृदय नरायन दीक्षित, श्री (उन्नाव)

राज्यपाल

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ

मन्त्रि-परिषद

1--श्री नारायण दत्त तिवारी,		मुख्य मंत्री एवं प्रभारी सामान्य प्रशासन, आवास प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योग, पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान, पर्वतीय विकास, नागरिक उड्डयन, वित्त, सांस्कृतिक कार्य, सूचना, पूर्त धर्मस्व, आबकारी एवं मद्य निषेध, उद्योग।
2--श्री बलदेव सिंह आर्य	..	नगर विकास मन्त्री।
3--श्री लोकपति त्रिपाठी	..	सिंचाई मंत्री।
4--श्री अजीत प्रताप सिंह	..	बन मन्त्री।
5--श्री नरेन्द्र सिंह	..	ऊर्जा एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम मंत्री।
6--श्री अम्मार रिजवी	..	सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री।
7--श्री गोपी नाथ दीक्षित	..	जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री।
8--श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी	..	शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री।
9--श्री श्याम सूरत उपाध्याय	..	ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री,
10--श्री सईदुल हसन	..	श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री।
11--श्रीमती सुशीला रोहतगी	..	गृह मन्त्री।
12--श्री अरुण कुमार सिंह	..	दुग्ध विकास, पशुधन एवं मत्स्य मंत्री।
13--श्री हुकुम सिंह	..	खाद्य एवं रसद मंत्री।
14--श्रीमती बेनी बाई	..	लघु एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री।
15--श्री रघुबीर सिंह यादव	..	नियोजन मंत्री।
16--श्री कृष्णवीर सिंह कौशल	..	कृषि मन्त्री।
17--श्री माता प्रसाद	..	राजस्व मन्त्री।

राज्य मन्त्री

1--श्रीमती दीपा कौल	..	हरिजन एवं समाज कल्याण
2--श्री ओम प्रकाश रिछारिया	..	न्याय एवं विधायिका, वित्त, संस्थागत वित्त, बिक्रीकर, मनोरंजन कर, पंजीयन, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क।
3--श्री संकटा प्रसाद शास्त्री	..	गन्ना विकास, गृह
4--श्री मानपाल सिंह	..	जेल, होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा, राजनीतिक पेंशन
5--श्री समर पाल सिंह	..	सहकारिता
6--श्री प्रमोद तिवारी	..	परिवहन
7--श्री मुईद अहमद	..	सिंचाई
8--श्री नरेश चन्द्र	..	नगर विकास, सूचना, संसदीय कार्य।
9--श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान	..	शिक्षा
10--श्री बिहारी लाल दोहरे	..	स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिशु कल्याण, महिला कल्याण।
11--श्री चेतराम गंगवार	..	बीस सूत्री कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योग, परिस्थिति विज्ञान एवं पर्यावरण।

12—श्री सीताराम निषाद	..	राजस्व, प्रांतीय विकास दल, राष्ट्रीय एकीकरण ।
13—श्री जगदम्बिका पाल ..	..	शिक्षा , वन, संसदीय कार्य ।
14—श्री शिव बालक पासी	.	कृषि ।
15—श्री गौरी शंकर ..	..	नियोजन, ग्राम्य विकास, प्रोटोकाल ।
16—श्री सईदुज्जमा ..	..	गृह ।
17—श्री राम औतार दीक्षित	..	ऊर्जा ।
18—श्री गुलाब सिंह ..	..	पर्यटन, पर्वतीय विकास ।
19—श्री कोकब हमीद ..	..	ऊर्जा, खाद्य तथा रसद ।
20—श्री अजीत सिंह सेठी ..	..	शिक्षा, नगर विकास ।
21—श्री बृजेन्द्र पाल सिंह यादव	..	श्रम, दुग्ध विकास ।
22—श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा	..	सार्वजनिक निर्माण।
23—श्री श्रीनाथ सिंह ..	..	आवास, जल सम्पूर्ति, क्षेत्रीय विकास

उप मन्त्री

1—श्रीमती हितेश कुमारी	..	सिंचाई ।
2—श्री निसार हुसैन ..	..	लघु उद्योग, गन्ना ।
3—श्रीमती प्रमिला बद्धवार मेहरा	..	परिवहन, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य ।
4—श्री शैलेन्द्र कुमार ..	..	हरिजन एवं समाज कल्याण, बन ।
5—श्रीमती रीना कुमारी	..	ऊर्जा ।
6—श्री राम दुलारे यादव	..	बीस-सूत्रीय कार्यक्रम, सहकारिता ।

नेता विरोधी दल

श्री सत्यपाल सिंह .. जनता पार्टी

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री नियाज हसन

उपाध्यक्ष

श्री त्रिलोक चन्द्र

अधिष्ठाता मण्डल

1—श्री खान गुफरान जाहिदी
2—श्री राम सकल तिवारी
3—श्री कर्नल केशरी सिंह
4—श्री मनहरन नाथ कौल
5—श्री भगवती सिंह विशारद
6—श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय
7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त
8—श्री रघुबर दयाल वर्मा
9—डा० शिवानन्द नौटियाल
10—श्री कौशिक रमाशंकर

सचिव

श्री भाल चन्द्र शुक्ल

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 8 फरवरी, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 12.30 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:—

अकबर अहमद (डम्पी), श्री (नैनीताल)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अमर नाथ सिंह, श्री (फतेहपुर)
अमीर आलम खां, श्री (मुजफ्फरनगर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशोक बाजपेयी, श्री (हरदोई)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (बहराइच)
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री (बुलन्दशहर)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा० (आगरा)
कोकब हमीद, श्री (मेरठ)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
चारूशीला, श्रीमती (मुजफ्फरनगर)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जय नारायण शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
निसार हुसैन, श्री (रामपुर)
प्रदीप माथुर, श्री (मथुरा)
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बलदेव सिंह, कैप्टन (अलीगढ़)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
मंगल देव, श्री (गोंडा)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
राजीव कुमार सिंह, श्री (बाराबंकी)
राजेश कुमार खैरा, श्री (ललितपुर)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
रीना कुमारी, श्रीमती (मुरादाबाद)
विजय सिंह राणा, श्री (आगरा)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
शतरुद्र प्रकाश, श्री (वाराणसी)
शिवनाथ सिंह, कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव बालक पासी, श्री (बलिया)
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री (गोरखपुर)
शैलेन्द्र कुमार, श्री (इलाहाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, डा० (सुल्तानपुर)
सईदुज्जमा, श्री (मुजफ्फरनगर)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (रायबरेली)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)
हरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हितेश कुमारी, श्रीमती (बुलन्दशहर)

हिंदी माध्यम

माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी नव वर्ष की शुभकामनायें

श्री अध्यक्ष–

मैं आप सब को नव वर्ष की शुभकामनायें देता हूं और आप सब का स्वागत करता हूं।

(नेता, विरोधी दल) श्री सत्यपाल सिंह–

आपको भी।

श्री अध्यक्ष–

अर्से के बाद माननीय राज्यपाल महोदय अपना पूरा अभिभाषण पढ़ सके हैं। खासतौर से मैं विपक्ष को धन्यवाद देता हूं और उनका आभारी हूं।

श्री कौशिक रमाशंकर–

क्या आप चाहते हैं कि विपक्ष हमेशा ऐसा करे?

श्री राम आसरे वर्मा–

इससे बढ़िया लोकतंत्र की कोई और मिसाल नहीं हो सकती है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, हम चाहते हैं कि आप भी पूरा अभिभाषण आज पढ़ दें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, विधान मण्डल के वर्ष 1989 के प्रथम सत्र के इस अवसर पर नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

शुरू की लाइन मैंने पढ़ दी है, आखिर का भी पढ़ दूं।

(नेता, बिरोधी दल) श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, जब विपक्ष के लिए यह बात कह रहे हैं और हम लोगों ने जिस शालीनता का परिचय दिया है उसके लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं। हम अभिभाषण नहीं सुन सके हैं इसलिए हम चाहते हैं कि उसे सुन लें। सत्ता पक्ष के लोग सुन लिये हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है मैं पढ़ देता हूं।

"आपको सम्बोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है किन्तु साथ ही साथ इस बात का दुख भी है कि पिछले वर्ष हमारे बीच से दो साहित्यिक विभूतियां श्री जैनेन्द्र कुमार और पण्डित सोहन लाल दिवेदी तथा अभी हाल में श्री इलाचन्द्र जोशी पाण्डेय इस संसार से विदा हो गये। विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री [illegible]

विधान सभा सदस्य श्री महाबीर सिंह भी हमारे बीच नहीं रहे। इनके देहावसान से हम सबको महान दुख हुआ है। दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता एवं व्यवस्था के अनुरूप महानगर एवं नगरपालिकाओं और टाउन व नोटीफाइड एरियाओं तथा जिला परिषदों, क्षेत्र समितियों व ग्राम सभाओं जैसी पंचायती राज की विस्तारित संस्थाओं के अपेक्षित निर्वाचन अब लगभग पूरे कर दिये गये हैं। इस चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाने पर मैं प्रदेश की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इन चुनावों में नव-निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को भी बधाई देता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि वे इन निकायों में स्वस्थ लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार रचनात्मक कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर जन-आकांक्षाओं को पूरा करेंगे और राष्ट्र व प्रदेश के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे।

सम्मानित विधायकगण अवगत हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम सम्यक् विकास एवं सामाजिक न्याय का एक प्रमुख एवं सशक्त राष्ट्रीय संकल्प है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रदेश ने वर्ष 1987-88 में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चालू वित्तीय वर्ष में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सीलिंग भूमि आवंटन, वृक्षारोपण और समन्वित बाल विकास केन्द्रों की स्थापना में गत नवम्बर माह के अन्त तक निर्धारित लक्ष्यों के बराबर या उससे अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर ली गयी हैं और अन्य अधिकांश कार्यक्रमों में, जिनमें अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता देना भी सम्मिलित है, निर्धारित लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्धियां बहुत अच्छी हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए प्रमुख कार्यक्रमों की उपलब्धियों की सूची का प्रकाशन अनिवार्य कर दिया गया है और मण्डल तथा जनपद स्तरों पर गठित टास्क-फोर्स द्वारा कार्यक्रमों की मौके पर नियमित रूप से जांच किये जाने पर बल दिया जा रहा है। नव-निर्वाचित जन-प्रतिनिधि इन विकास कार्यों को अधिक प्रभावकारी ढंग से लागू कर सकेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है।

पिछले सूखा के बाद यह वर्ष कृषि के लिए बहुत अच्छा रहा। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन के लिए 123 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य था जिसमें 89 लाख मीट्रिक टन चावल उत्पादन का लक्ष्य सम्मिलित है। रबी खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 211 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। मुझे विश्वास है कि किसान भाइयों के अथक परिश्रम, अच्छी वर्षा और मेरी सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के सहयोग से दी जा रही सुविधाओं के कारण इन लक्ष्यों की पूर्ति हो जायेगी। अगले वर्ष विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत 363 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। साथ ही 12 लाख मीट्रिक टन का तिलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मेरी सरकार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कृषि यंत्रों, कृषि रक्षा उपकरणों और कृषि रक्षा रसायनों के समुचित वितरण पर विशेष बल दे रही है। किसानों को एक ही स्थान पर सभी निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से "सिंगल विन्डो सिस्टम" प्रणाली प्रारम्भ की गयी है। स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था करने का नया कार्यक्रम विश्व बैंक पोषित नलकूप योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है।

निजी क्षेत्र में फलों के लिए पहली बार पौधशालायें स्थापित करने का कार्यक्रम चलाया जा है।

गन्ना कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने की दृष्टि से पेराई सत्र 1988-89 के लिए पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक गन्ना मूल्य घोषित किया गया है एवं पहली बार पूरे प्रदेश के लिए गन्ने का समान मूल्य निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रजाति के गन्ने के लिए 30 रुपये प्रति क्विंटल एवं शीघ्र पकने वाली प्रजाति के लिए 34 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य देने का निर्देश चीनी मिलों को दिया गया है। पेराई सत्र 1987-88 में राज्य में 955 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ, जिसमें से 299.64 लाख टन चीनी मिलों ने पेराई कर 26.65 लाख टन चीनी का उत्पादन किया, जो कि पूर्व वर्षों की तुलना में सर्वाधिक था। वर्ष 1987-88 में गन्ना उत्पादकों को कुल देय 797.64 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य में से 793.10 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान समय से कर दिया गया है, जो कि देय धनराशि का 99.41 प्रतिशत है। सहकारी क्षेत्र में एक नई चीनी मिल बिजनौर में निर्माणाधीन है और गोरखपुर व हरदोई में एक-एक नई चीनी मिल लगाने की स्वीकृति भी मिल चुकी है। सहकारी क्षेत्र में 2 नई आसवनियां कायमगंज एवं फर्रुखाबाद में स्थापित की जा रही हैं।

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के त्वरित एवं संतुलित विकास के लिए बहुआयामी नीति अपनायी गयी है, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार मूलक. . .

श्री अध्यक्ष–

यदि माननीय सदस्यों की इजाजत हो तो मैं बैठकर इसे पढ़ दूं।

श्री सत्यपाल सिंह–

आप थक गये हैं इसलिए अभिभाषण को अब पढ़ा हुआ मान लिया जाये। लेकिन अभिभाषण की आखिरी लाईनें पढ़ दें ।

[लघु, कुटीर और ग्रामोद्योगों के साथ-साथ पूंजी-परक भारी एवं मध्यम उद्योगों तथा पूरक इकाईयों का संतुलित विकास हो रहा है। वर्ष 1980 से पूर्व के दशक में प्रदेश में औद्योगिक विकास की दर 6.8 प्रतिशत थी जो बढ़कर अब 12.6 प्रतिशत हो गयी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में भारी एवं मध्यम उद्योगों की संख्या 52 थी जो बढ़कर अक्तूबर, 1988 तक 844 पहुंच चुकी है। वर्तमान औद्योगिक नीति के अन्तर्गत पर्यावरण संतुलन, आधुनिक तकनीकी, गुणवत्ता व उत्पादन स्तर में सुधार, प्रशिक्षण, विपणन सहायता, बीमार इकाईयों का पुनर्जीवीकरण, निर्यात इकाईयों को प्रोत्साहन, इलेक्ट्रानिक्स तथा कृषि पर आधारित उद्योगों को दी जाने वाली सुविधाओं, रियायतों और छूटों को अधिक आकर्षक बनाने के साथ नियमों का सरलीकरण किये जाने का निर्णय लिया है। पिछड़े क्षेत्रों और उद्योग शून्य जिलों में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने में दो उपक्रमों, 'पिकअप और वित्त निगम ने सम्पूर्ण देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी सरकार के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप अनिवासी (नान रेजीडेन्ट)

[ ] यह अंश सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।

भारतीय पर्याप्त संख्या में पूंजी निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं। इलेक्ट्रानिक्स सामानों के उत्पादन में यह प्रदेश देश का दूसरा वृहद उत्पादक हो गया है। प्रसिद्ध जापानी कम्पनियों के सहयोग से स्थापित की जा रही रंगीन पिक्चर ट्यूब परियोजना में जीरो फेज का उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो गया है। बुनकरों को सस्ती दर पर सूत उपलब्ध कराने के लिए सहकारी क्षेत्र में एक कताई मिल की स्थापना जिला एटा में की जा रही है और वर्तमान कताई मिलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

लघु स्तरीय, हस्तशिल्प और खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों की संख्या में और उनके उत्पाद में वृद्धि हो रही है जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। मुरादाबाद में स्थापित पीतल बस्ती की तरह आगरा में एक चर्मनगर और अलीगढ़ में तालानगरी स्थापित किये जाने की योजना है। पाटरी उद्योग और चर्म उद्योग को आगामी वर्ष में नई दिशा देने का लक्ष्य है। लघु एवं ग्रामोद्योगों के उत्पादों की गुणवत्ता एवं तकनीकी उन्नयन की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हथकरघा क्षेत्र में सहकारी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और क्षेत्रीय शीर्ष सहकारी समितियों के गठन के सम्बन्ध में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। हथकरघा उद्योग के लिये एक कम्प्यूटर डिजाइन सेन्टर की स्थापना की जा रही है। रेशम उद्योग के प्रसार के लिये वृक्षारोपण, कीट-पालन के व्यापक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

मेरी सरकार का यह स्पष्ट मत रहा है कि औद्योगिक शान्ति तभी बनी रह सकती है जबकि सेवायोजक और श्रमिक, दोनों पक्ष, मिल बैठकर विवादों का समाधान निकालें यह हर्ष का विषय है कि इस वर्ष श्रम स्थिति संतोषजनक रही। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न नियोजनों में लगे श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता रहा है। कृषि नियोजन में न्यूनतम मजदूरी दरों को पुनरीक्षित करने से सम्बन्धित प्राथमिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। वाराणसी, मिर्जापुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद और अलीगढ़ में बाल श्रम कल्याण परियोजनायें चलायी जा रही हैं। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रशिक्षणार्थ 49 कोचिंग-कम-गाइडेंस सेन्टर चलाये जा रहे हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में कुछ नये औषधालय खोलने का प्रस्ताव है।

प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिये उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध कराने और युवा वर्ग को रोजगार के अधिक तथा अच्छे अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्राविधिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिये मेरी सरकार कृत संकल्प है। इस दृष्टि से 12 इन्जीनियरिंग कालेज चलाये जा रहे हैं और नवगठित जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में एक-एक पालीटेक्निक स्वीकृत किया जा चुका है। प्रदेश के 9 मण्डलों में महिला पालीटेक्निक खोले जा चुके हैं।

राजस्व प्रशासन में सुधार के प्रति मेरी सरकार दृढ़ संकल्प है। इसी दृष्टिकोण से जिला स्तरीय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने तथा जनता की सुविधा और आकांक्षाओं के अनुरूप मऊ, सिद्धार्थनगर, हरिद्वार और फिरोजाबाद चार नये जिलों का गठन किया गया है। राजस्व अभिलेखों में शुद्धिकरण का कार्य बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी जन सहमति से चकबन्दी योजना लागू करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जन-जाति के व्यक्तियों, ग्रामीण

शिल्पकारों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों और निर्बल वर्ग के अन्य व्यक्तियों, जिनके पास आवास नहीं है अथवा आवासीय भूमि अपर्याप्त है, को आवास स्थल दिये जाने की योजना के अन्तर्गत, योजना के प्रारम्भ से नवम्बर, 1988 तक 20,72,397 आवास स्थल आवंटित किये जा चुके हैं, जिनमें से 15,46,546 आवंटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर उठाने और न्यूनतम आवश्यकतायें पूरी करने के अनेक कार्यक्रम मेरी सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं । गत 2 अक्टूबर, 1988 से एक महत्वाकांक्षी नई आवासीय योजना पुरानी योजना में सुधार करते हुए निर्बल वर्ग के परिवारों के लिये प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक 2.00 लाख आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है । इसके अतिरिक्त इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 22,265 आवास बनाये जायेंगे । एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय धूम्र रहित चूल्हा परियोजना, सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, आदि समस्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ।

मेरी सरकार द्वारा चलाये जा रहे पशुपालन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों के फलस्वरूप प्रदेश में दुग्ध, अण्डा और ऊन के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। दुग्धशाला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान दुग्धशालाओं की क्षमता में वृद्धि की जा रही है । मेरी सरकार द्वारा चलाये जा रहे पशुपालन सम्बन्धी कार्यक्रमों से ग्रामीण अंचल की अर्थ-व्यवस्था लाभान्वित हुई है और आर्थिक दृष्टि से निर्बल वर्ग के लोगों को लाभ हुआ है । विभिन्न मत्स्य विकास कार्यक्रमों से मछुआ समुदाय लाभान्वित हुआ है, साथ ही मत्स्य उत्पादन में वृद्धि भी हुई है ।

प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में सिंचाई साधनों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए मेरी सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि मध्यम परियोजनाओं के लिये पर्याप्त साधन उपलब्ध कराये जायें ताकि किसान भाइयों को सिंचाई सुविधाओं का लाभ शीघ्र मिल सके। इस वर्ष चालू परियोजनाओं में से आठ वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं का कार्य पूरा हो जाने की आशा है । विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत एक हजार नये नलकूपों का निर्माण मार्च, 1990 तक पूरा करने का लक्ष्य है । इन्डोडच नलकूप परियोजना के अन्तर्गत भी नये नलकूपों का निर्माण कराया जा रहा है। नलकूपों के प्रचालन एवं रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । प्रदेश में लघु/सीमान्त कृषकों की सहायतार्थ केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में नवम्बर माह तक 71,245 निःशुल्क बोरिंग पूर्ण कर ली गयी है ।

समादेश क्षेत्रीय विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रक्षेत्र विकास कार्य और ओसराबन्दी का कार्य प्रगति पर है । आगामी वित्तीय वर्ष में 2.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्रक्षेत्र विकास कार्य और 4.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ओसराबन्दी का कार्य किये जाने का प्रस्ताव है ।

भूगर्भ जल संसाधनों के सर्वेक्षण, अन्वेषण, विकास एवं प्रबन्ध हेतु विभिन्न प्रकार की तकनीकों, जैसे हाइड्रोजियोलाजिकल, फोटोजियोलाजिकल एवं रिमोट सेंसिंग भू-भौतिकी सांख्यिकी, भूरासायनिक एवं नाभिकीय आदि पर आधारित विविध प्रकार के सर्वेक्षण कार्य प्रस्तावित हैं। नहरों से होने वाले सीपेज से सम्बन्धित विशिष्ट अध्ययन भी प्रस्तावित है।

वर्ष 1988-89 ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्ष रहा। राज्य विद्युत परिषद के ताप विद्युतगृहों के प्लान्ट लोड फैक्टर में इस वर्ष निरन्तर सुधार आया है। इस वर्ष ऊंचाहार ताप विद्युत गृह के 210 मेगावाट की पहली इकाई का कार्य पूरा हो गया है। टांडा विद्युतगृह की पहली 110 मेगावाट की इकाई से भी वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हो गया। विश्व बैंक सहायता से श्रीनगर परियोजना और एशियन डेवेलपमेन्ट बैंक की सहायता से ऊंचाहार विस्तार तापीय विद्युत परियोजना पर कार्य आरम्भ किया गया है। यह आशा है कि जापान से प्राप्त सहायता के अन्तर्गत अनपारा 'बी' परियोजना पर भी कार्य शीघ्र आरम्भ हो सकेगा। विद्युत की आपूर्ति में सुधार के फलस्वरूप जो विद्युत कटौतियां उद्योग एवं घरेलू क्षेत्रों में करनी पड़ती थी, उनको समाप्त कर दिया गया। नये उद्योगों के लिये भी आवश्यकतानुसार विद्युत अधिभार स्वीकृत किया गया। कृषि के लिये 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत की आपूर्ति की गयी और इस वर्ष की खरीफ फसल में कृषि उत्पादन का जो नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है, उसमें विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति से सहायता मिली है।

प्रदेश के सर्वतोमुखी विकास के लिये यातायात के अच्छे साधनों का होना आवश्यक है। अतः मेरी सरकार ने पिछले 4–5 वर्षों से महत्वपूर्ण तथा भारी यातायात वाले राज्य मार्गों के लिए आधुनिकतम तकनीक से सुधार करने की नीति अपनाई है। इस नीति के अन्तर्गत हाट मिक्स की नई प्रणाली के द्वारा लगभग 2100 किलोमीटर राज्य मार्गों पर सुधार कार्य हुआ है या स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त 5 महानगरों तथा अधिकांश जिला मुख्यालयों की मुख्य सड़कों के सुधार का कार्य भी चलाया जा रहा है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत बड़े गांवों को सब ऋतु योग्य मार्गों से जोड़ने का कार्य योजना के अनुसार सम्पन्न हो रहा है। सड़क परिवहन सेवाओं में सुधार के लिये निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। लगभग 2000 बसों की व्यवस्था इलाहाबाद में हो रहे कुम्भ मेले में आने वाले यात्रियों के लिए की गई है।

मेरी सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पर्वतीय क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए निरन्तर प्रयासरत है। वर्ष 1988-89 में विशिष्ट योजनाओं और जिला योजनाओं की संरचना इस प्रकार की गयी है कि योजनाओं का लाभ जनसाधारण को प्राप्त हो सके। योजनाओं के कार्यान्वयन पर दृष्टि रखने और कार्यान्वयन में आने वाले अवरोधों का निवारण करने की दृष्टि से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चार सचिव समितियों का गठन किया गया है। राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप पर्वतीय क्षेत्र में भी उत्पादकता में वृद्धि और रोजगारपरक योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष बल दिया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति एवं भूक्षरण की गति को रोकने हेतु पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन के दृष्टिकोण से वृहद् रूप में वृक्षारोपण भूमि एवं जल संरक्षण, एकीकृत जलागम प्रबन्ध, वानिकी, बागवानी, पशुपालन, दुग्ध विकास, लघु विद्युत, विशेषकर माईक्रो-हाईडिल योजनायें, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत,

धूम्ररहित चूल्हे, प्रदूषण रहित उद्योग एवं इलेक्ट्रानिक्स, ऊन तथा रेशम पर आधारित उद्योगों तथा पर्यटन विकास के कार्यक्रम विभिन्न योजनाओं में समाविष्ट किये गये हैं। इस वर्ष सेब की समर्थन मूल्य योजना भी विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के क्रम में प्रारम्भ कर दी गयी है। उद्यान विकास की एक 102 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की गयी है जिसके लिए विश्व बैंक से वित्त पोषण प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। विश्व बैंक की एकीकृत जलागम प्रबंध परियोजना और यूरोपियन आर्थिक समुदाय की सहायता से साउथ आफ भागीरथी फेज-एक कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त दस नई परियोजनायें तैयार की गयी हैं जिनकी अनुमानित लागत लगभग 287 करोड़ रुपये हैं और जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहायता से वित्त पोषित कराने का प्रयत्न किया जा रहा है।

पर्यटन की दृष्टि से इस राज्य का भारत में एक विशिष्ट स्थान है। यहां की पर्वत श्रृंखलाओं, विहम नदों, हरी-भरी घाटियों, सुरम्य झरनों, वन्य जन्तु और ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों में पर्यटकों को भारी संख्या में आकृष्ट करने की क्षमता है। इन विपुल समस्याओं को देखते हुए मेरी सरकार ने पर्यटन को उद्योग घोषित कर दिया है। पर्यटन स्थलों का विकास और यात्रियों तथा पर्यटकों के लिए आवास की सुविधा की व्यवस्था कराने का प्रयास निरन्तर किया जा रहा है। प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों पर आवासीय तथा अन्य पर्यटन सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त अयोध्या में राम कथा पार्क तथा आगरा में मुमताज बाग के विकास कार्य सम्बन्धी योजनायें प्रस्तावित हैं।

नगरों का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से 21 विकास प्राधिकरण और 7 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित हैं। नगरों में आवासीय समस्या के समाधान के लिये विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद् प्रयत्नशील है। सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में वर्ष 1987-88 के अन्त तक विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिए 81,750 भवनों का निर्माण कराया जा चुका था। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त अवधि में 1987-88 तक निर्बल वर्ग के लिये 71,895 भवनों का निर्माण कराया गया और चालू वित्तीय वर्ष में 12,000 और भवन निर्मित हो जाने की आशा है। अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए वर्ष 1987-88 में 7,926 भवनों का निर्माण कराया गया तथा चालू वर्ष में 5,000 और भवनों का निर्माण हो जाने की आशा है। मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना प्रदेश के 65 नगरों में कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 1,50,000 व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। शुद्ध पेयजल और स्वच्छता सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की दिशा में भी मेरी सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य जल निगम द्वारा किया जा रहा है।

इलाहाबाद में कुम्भ मेला जो देश का सबसे बड़ा मेला है, दिनांक 14 जनवरी, 1989 से प्रारम्भ हो गया है। इस मेले में अब तक लाखों व्यक्ति देश-विदेश से आये हैं। इन तीर्थ यात्रियों को मैं अपनी शुभकामनायें देता हूं। मेरी सरकार ने मेले में आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबन्ध किये हैं। गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिये हरिद्वार-ऋषिकेश, वाराणसी, रामनगर, इलाहाबाद तथा कानपुर नगरों में योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं।

मेरी सरकार द्वारा लोकतंत्र में अपनी गहन निष्ठा के अनुरूप सहकारी समितियों का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से चुने गये जनप्रतिनिधियों द्वारा सुनिश्चित करने के लिये प्रारम्भिक सहकारी समितियों, सहकारी क्रय-विक्रय समितियों, प्राथमिक उपभोक्ता भण्डारों, क्षेत्रीय सहकारी संघों तथा जिला स्तर की सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन लगभग पूर्ण करा दिये हैं। सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को ऋण वितरित किये जा रहे हैं। कृषकों सदस्यों को अधिक राहत पहुंचाने के लिए सहकारिता के क्षेत्र में नई चेक प्रणाली लागू की गई है और 570 मिनी बैंकों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

मेरी सरकार जनता के लिये चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं में समयबद्ध रूप से प्रसार एवं गुणात्मक सुधार करने का हर सम्भव प्रयास कर रही है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1989-90 तक पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। रोगों की रोकथाम के लिये वृहद कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों को भी यथोचित बढ़ावा दिया जा रहा है। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान देश के अग्रणी आयुर्विज्ञान संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। मेडिकल कालेजों में आधुनिकीकरण के लिये विशेष कदम उठाये गये हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम को जन-स्वीकृति के आधार पर प्रभावी बनाये रखने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मेरी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर गुणात्मक सुधार, महिला शिक्षा के विस्तार, विज्ञान की शिक्षा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा पर विशेष बल दे रही है। भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों के लगभग 12,500 भवनों का निर्माण कार्य आगामी वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने के पश्चात् यह आशा की जाती है कि प्रदेश में कोई भी प्राथमिक विद्यालय भवनहीन नहीं रह जायेगा।

माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया जा रहा है। कतिपय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लिटरेसी कार्यक्रम चलाया जा रहा है और 43 विद्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जा चुके हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भारत सरकार की सहायता से राज्य में 29 नवोदय विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। सभी विद्यालयों में त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। उर्दू भाषा की शिक्षा के प्रदेश में विशेष महत्व को देखते हुए उर्दू-शिक्षण को अधिक गतिशील बनाया जा रहा है।

मेरी सरकार द्वारा जनता को विशेषकर आर्थिक दृष्टि से निर्बल वर्ग के लोगों को जन-वितरण प्रणाली के अंतर्गत दैनिक उपयोग की कतिपय वस्तुएं नियंत्रित दरों पर राशन कार्ड के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों द्वारा वितरित कराने की व्यवस्था की गयी है। आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य पर उपलब्धि बनाये रखने और उनके मूल्यों पर नियंत्रण बनाये रखने के लिये जमाखोरों, काला बाजारियों एवं मुनाफा खोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। खरीफ वर्ष 1988–89 के लिए लेवी योजना में 8.14 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा जा चुका है। चावल मिलों द्वारा

21.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है । यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को समर्थन मूल्य से नीचे धान न बेचना पड़े । भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य और गुण निर्दिष्टियों के अनुसार गत वर्षों की भांति मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं की खरीद की जायेगी । उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मण्डलीय मुख्यालयों पर 'जिला फोरम' और राज्य स्तर पर 'स्टेट कमीशन' गठित किये गये हैं इस कार्यक्रम के सुचारु रूप से कार्यान्वयन के लिए उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय तथा राज्य स्तर पर 'उपभोक्ता संरक्षण परिषद्' का भी गठन किया गया है । इसके साथ ही व्यापारियों की व्यापार संबंधी कठिनाइयों के तत्परता से निराकरण करने के लिये 'व्यापार मित्र समिति' का गठन भी किया गया है । विभिन्न वस्तुओं के लिए केवल एक लाइसेंस दिये जाने की व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

मेरी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं विमुक्त जाति के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के प्रति निरन्तर प्रयत्नशील रही है । इन जातियों के अध्ययनरत छात्रों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है, जिस पर प्रतिवर्ष लगभग 61 करोड़ रुपये व्यय किया जाता है । अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास हेतु लागू की गयी विशेष समन्वित योजना के अधीन गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के लिए स्वत: रोजगार योजना , परिसम्पत्ति निर्माण योजना, मार्जिन मनी सहायता योजना तथा लघु सिंचाई योजना संचालित है ।

मेरी सरकार राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भर्ती विहित प्रतिशत के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है और इस संबंध में लोक आयुक्त को समुचित अधिकार देने के लिए उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 में संशोधन करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

राज्य में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये मेरी सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रही है । राज्य की पुलिस के लिये 1988 का वर्ष विषम परिस्थितियों और चुनौतियों का रहा जिसमें उसने सामान्यतया अपने कर्तव्यों का यथाशक्ति निर्वहन किया । पुलिस को अधिक सक्षम और गतिशील बनाने हेतु मेरी सरकार निरन्तर प्रयास करती रही है । . महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिये एक पुलिस महिला सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना गत 2 अक्टूबर को की गयी जो इस प्रकार के होने वाले अपराधों के कारणों की समीक्षा भी करेगा । पुलिस प्रशासन को गतिशील बनाने के लिये पुलिस वाहन और रेडियो संचार व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है । पुलिस प्रशासन के बारे में जनता की शिकायतों के निराकरण, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने तथा जनता एवं पुलिस के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से प्रयोग के तौर पर पांच महानगरों में पुलिस नागरिक समितियों का गठन किया जा रहा है जिसमें जनता के विभिन्न वर्ग के प्रतिनिधि होंगे । अग्निशमन सेवा को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं और नये अग्निशमन स्टेशन भी खोले गये हैं । कर्त्तव्य पालन के दौरान गम्भीर रूप से घायल पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाली सहायता की धनराशि बढ़ा दी गयी है । इसी प्रकार जोखिम के फलस्वरूप मृत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का प्राविधान किया गया है ।

अवयस्क अपराधी बालकों के सुधार, प्रशिक्षण और उनकी उचित पुनर्व्यवस्था के लिये किशोर न्याय अधिनियम के अधीन प्रदेश में 53 संम्प्रेक्षण गृह, 11 किशोर गृह, एक विशेष गृह, 2 बाल निर्देशन केन्द्र तथा 50 किशोर कल्याण बोर्ड और 11 किशोर न्यायालयों की स्थापना की गई है । निर्धन और निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण एवं बच्चों की शिक्षा के लिये तथा निराश्रित विकलांगों को भरण-पोषण के लिये प्रति-माह अनुदान दिया जा रहा है । उद्यमी एवं स्वरोजगार में लगी महिलाओं को वित्तीय एवं परामर्शी सहायता देने के लिए स्थापित महिला कल्याण निगम ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है । इस वर्ष मानसिक रूप से अविकसित महिलाओं के लिये बरेली में और वृद्ध एवं अशक्त महिलाओं के लिये वाराणसी में एक-एक गृह की स्थापना की गई है । मद्यपान और मादक पदार्थों के सेवन को रोकने के लिये मद्यनिषेध विभाग की स्थापना की गई है ।

मेरी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रही है । अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखी जा रही है ।

मेरी सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि जनता को शीघ्र और सस्ता न्याय सुलभ हो 60 तहसील मुख्यालयों पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित किये जा चुके हैं । जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण सम्बन्धी अधिनियमों के अन्तर्गत उद्भूत अपराधों के निस्तारण के लिये एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है । इस वर्ष 2 और स्थानों पर पारिवारिक न्यायालय स्थापित किये गये। वर्ष 1988 में उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता एवं परामर्शी बोर्ड द्वारा 146 लोक अदालतों तथा लघु लोक अदालतें आयोजित की गईं जिनमें लगभग 1,97,651 मामलों का निस्तारण हुआ और 3,196 मामलों में निःशुल्क विधिक परामर्श दिया गया । इस वर्ष न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा स्व0 पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त के नाम पर एक शोध पीठ की स्थापना की गई है । अधिवक्ताओं के कल्याण के लिये भविष्य निधि योजना लागू की जा रही है ।

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वृक्षों के कटान पर रोक लगाई गई है साथ ही वृक्षारोपण योजनायें भी चलाई जा रही हैं। नेहरू जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में वर्ष 1988-89 में जनपद गोण्डा में सोहेलवा वन जन्तु विहार स्थापित किया गया है। मेरी सरकार पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है और इसके लिए विभिन्न योजनायें और कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं।

बिक्रीकर का राज्य की राजस्व आय में महत्वपूर्ण स्थान है। मेरी सरकार कर की चोरी रोकने के लिए समय-समय पर समुचित उपाय करती रही है। इसके साथ ही व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता के प्रति भी सजग है। व्यापार को बढ़ावा और उपभोक्ता को राहत देने के उद्देश्य की पूर्ति के लिये कतिपय दैनिक उपभोग की वस्तुओं को कर मुक्त कर दिया गया है। सुवास रहित तेल, बस तथा

ट्रक के चेसिस पर बिक्रीकर की दरों में कमी की गई है । निर्माताओं को कतिपय सामग्री क्रय करने के लिए बिक्रीकर की दरों में रियायत दी गई है।

आगामी वित्तीय वर्ष पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष होगा। केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा वर्ष 1989-90 के लिए 2,970 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकार किया गया है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के परिव्यय से 290 करोड़ रुपये अर्थात् 10·8 प्रतिशत अधिक है। राज्य के लिए सप्तम पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय 11,000 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय से अधिक होने की आशा है। इस वर्ष से अधिक खाद्यान्न उत्पादन के साथ-साथ उद्योग और अन्य क्षेत्रों में भी अच्छी प्रगति होने की सम्भावना है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक आर्थिक विकास दर प्राप्त होने की मुझे पूरी आशा है।

माननीय सदस्यगण, मैंने आपके सम्मुख सरकार की प्रमुख नीतियों और किये जा रहे कार्यों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है । विधान मण्डल के इस सत्र में आपके सामने वर्ष 1989-90 का आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायेगा और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक मांगें भी प्रस्तुत की जायेंगी, जिन्हें पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी। मैंने विगत सत्र के बाद कुछ अध्यादेश प्रख्यापित किये हैं, जिनको प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक तथा कुछ अन्य विधेयक भी आपके विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

माननीय सदस्यगण, इस प्रदेश को समृद्धि की राह पर आगे ले जाने का गुरुतर भार आपके कन्धों पर है । मुझे आशा है कि इस प्रदेश की गौरवमयी परम्पराओं और संसदीय लोकतंत्रिक प्रणाली की मान्यताओं तथा मर्यादाओं के अनुसार इस राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आप अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे।]

श्री अध्यक्ष–

"इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आहूत करता हूं ।

जयहिन्द।"

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1988†

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1988 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1988†

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1988 को सदन के पटल पर रखता हूं।

[ ] यह अंश सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1988†

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1988 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 1988†

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री समरपाल सिंह) —

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1988 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1988†

नियोजन एवं ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1988 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1989†

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री समरपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

मोटर यान (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1989†

नियोजन राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से मोटर यान उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पचासवां संशोधन) नियमावली, 1988††

नियोजन राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 5743 टी/30-4-23 के0 एम0-87 दिनांक 14 जनवरी, 1988 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पचासवां संशोधन) नियमावली, 1988 को विलम्ब के कारणों सहित मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (इक्यावनवां संशोधन) नियमावली, 1988††

नियोजन राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या–635 टी/30-4-6 पी-79, दिनांक 27 अप्रैल, 1988 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (इक्यावनवां संशोधन) नियमावली, 1988 जो दिनांक 4 अक्तूबर, 1988 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

यू0 पी0 मोटर वेहिकिल्स (बावनवां संशोधन) नियमावली, 1988††

नियोजन राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 3037-टी/30-4-68 के0 एम0 85, दिनांक 12 जुलाई, 1988 के साथ प्रकाशित यू0 पी0 मोटर वेहिकिल्स (बावनवां संशोधन) नियमावली, 1988 जो दिनांक 4 अक्तूबर, 1988 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर यान (तिरपनवां संशोधन) नियमावली, 1988††

नियोजन राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 3189 टी/30-4-13-पी-79, दिनांक 6 सितम्बर, 1988 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर यान (तिरपनवां संशोधन) नियमावली, 1988 को मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 के अधिवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश

---

††छापी नहीं गयी ।

विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 अक्तूबर, 1988 की बैठक में पारित किया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 7 अक्तूबर, 1988 को वापस प्राप्त हुआ, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 अक्तूबर, 1988 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1988 का उत्तर प्रदेश का 12वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 अक्तूबर, 1988 की बैठक में पारित किया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 7 अक्तूबर, 1988 को वापस प्राप्त हुआ, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 अक्तूबर, 1988 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1988 का उत्तर प्रदेश का 13वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1988 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 अक्तूबर, 1988 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 7 अक्तूबर, 1988 की बैठक में पारित किया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 11 अक्तूबर, 1988 को वापस प्राप्त हुआ, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 अक्तूबर, 1988 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1988 का उत्तर प्रदेश का 14वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक 1988 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 अक्तूबर, 1988 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 11 अक्तूबर, 1988 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 अक्तूबर, 1988 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1988 का उत्तर प्रदेश का 15वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1988-89 का अनुपूरक) विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1988-89 का अनुपूरक) विधेयक, 1988 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 अक्तूबर, 1988 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान **परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 11 अक्तूबर, 1988 को** वापस प्राप्त हुआ था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 अक्तूबर, 1988 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1988 का उत्तर प्रदेश का 16वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1988 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 अक्टूबर 1988 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 11 अक्टूबर, 1988 को वापस प्राप्त हुआ था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 अक्टूबर, 1988 को प्राप्त हो गयी और सन् 1988 का उत्तर प्रदेश का 17वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 5 अक्टूबर, 1988 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 अक्टूबर, 1988 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 अक्टूबर, 1988 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1988 का उत्तर प्रदेश का 18वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1988 पर, जिसे

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 3 अक्टूबर, 1988 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 अक्टूबर, 1988 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 अक्टूबर, 1988 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1988 का उत्तर प्रदेश का 19वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1988 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 5 अक्टूबर, 1988 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 अक्तूबर, 1988, के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 अक्टूबर 1988 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1988 का उत्तर प्रदेश का 20वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1988 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 3 अक्टूबर, 1988 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 अक्टूबर, 1988 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 अक्टूबर, 1988 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1988 का उत्तर प्रदेश का 21वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1988 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 अक्टूबर, 1988 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 अक्टूबर, 1988 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 अक्टूबर, 1988 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1988 का उत्तर प्रदेश का 22वां अधिनियम बन गया।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा

ने अपने दिनांक 5 अक्टूबर, 1988 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक, प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 7 अक्टूबर, 1988 को वापस प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 8 नवम्बर, 1988 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1988 का उत्तर प्रदेश का 23वां अधिनियम बन गया।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 7 फरवरी, 1989 की बैठक में सदन के वर्तमान सत्र के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

1–दिनांक 8 फरवरी से 15 फरवरी, 1989 तक का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :–

फरवरी, 1989	
8 बुधवार	12.30 बजे अपराह्न (1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़कर सुनाया जाना । (2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों, आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि ।
9 गुरुवार	निधन के निर्देश ।
10 शुक्रवार	
11 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
12 रविवार	
13 सोमवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पहला दिन)
14 मंगलवार	(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (दूसरा दिन) (2) 5.00 बजे अपराह्न
15 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (तीसरा दिन)

2–दिनांक 9 फरवरी, 1989 को प्रश्नकाल न हो । उस दिन की कार्यसूची में अल्पसूचित प्रश्न न छापे जायं ।

3–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हेतु नियत 4 दिन के उपवेशनों में, संगत नियमों को निलंबित करते हुये, नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं तथा इन दिनों के उपवेशन में नियम 51 के अन्तर्गत दो विषय उठाने की अनुमति दी जाय । इसके अतिरिक्त उक्त 4 दिनों में नियम 301 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं में से एक उपवेशन में अधिकतम 14 सूचनायें ली जायं ।

4—वर्तमान सत्र में उपलब्ध होने वाले प्रथम अशरकारी दिवस को, संगत नियमों को निलम्बित करते हुये, पिछले सत्र के लंबित अशरकारी संकल्पों को ही कार्यसूची में सम्मिलित किया जाय ।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उससे सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं । कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 12 बजकर 53 मिनट पर /अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
8 फरवरी, 1989

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 393 विधान सभा—(643)—1985—813 ।